संख्या-517/2025/317के-2/22-3-2025-17(1129)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 19 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालेन्द्र पुत्र श्री नैनसिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023) दिनांक-24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालेन्द्र पुत्र नैनसिंह, जो ग्राम-किनौनी, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में वादी के भाई धर्मेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिसमें वादी व उसके पिता भी घायल हो गये थे। वादी पक्ष द्वारा गवाही देने की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 05.12.2005 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राईफल व तमंचे से गोली मारकर वादी के भाईयों नरेन्द्र व श्रवण की हत्या कर दी तथा 01 अन्य रिश्तेदार कपिल को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-730/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.03.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 23-04-2022 तक बंदी की आयु 58 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में वादी के भाई धर्मेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसमें वादी व उसके पिता भी घायल हो गये थे। वादी पक्ष द्वारा गवाही देने की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 05.12.2005 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राईफल व तमंचे से गोली मारकर वादी के भाईयों नरेन्द्र व श्रवण की हत्या करने एवं 01 अन्य रिश्तेदार कपिल को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं

जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बालेन्द्र पुत्र श्री नैन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालेन्द्र (बंदी संख्या-3474/11) पुत्र श्री नैनसिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-517/2025/317के-2/22-3-2025-17(1129)/2023

दिनांक 19 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालेन्द्र पुत्र श्री नैनसिंह, जो ग्राम-किनौनी, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में वादी के भाई धर्मेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिसमें वादी व उसके पिता भी घायल हो गये थे। वादी पक्ष द्वारा गवाही देने की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 05.12.2005 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राईफल व तमंचे से गोली मारकर वादी के भाईयों नरेन्द्र व श्रवण की हत्या कर दी तथा 01 अन्य रिश्तेदार कपिल को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-730/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.03.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 23-04-2022 तक बंदी की आयु 58 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में वादी के भाई धर्मेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसमें वादी व उसके पिता भी घायल हो गये थे। वादी पक्ष द्वारा गवाही देने की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 05.12.2005 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राईफल व तमंचे से गोली मारकर वादी के भाईयों नरेन्द्र व श्रवण की हत्या करने एवं 01 अन्य रिश्तेदार कपिल को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बालेन्द्र पुत्र श्री नैन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।